

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प. 1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/328

दिनांक:- 08/01/15

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जिला कलक्टर) समस्त राजस्थान।

विषय:- पंचायत आम चुनाव 2015 हेतु आवंटित बजट राशि के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

नगर निकाय आम चुनाव 2014 से सम्बन्धित व्यय राशि एवं अतिरिक्त बजट आवंटन की जिलों से प्राप्त सूचना में यह प्रतीत होता है कि अधिकांश जिलों में लोकसभा/विधानसभा चुनाव के सदृश प्रक्रिया अनुसार ही विभिन्न मदों/कार्यों पर व्यय किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखित करना उचित होगा कि लोकसभा/विधानसभा में चुनाव व्यय हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है, एवं राशि के उपयोग के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग की दरें एवं दिशा-निर्देश लागू होते हैं। इसके विपरीत नगर निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए समस्त बजट राशि राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वित्त विभाग राजस्थान सरकार के अनुमोदनानुसार पृथक दरें व दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं। संक्षेप में यह उल्लेखित है कि, नगर निकाय एवं पंचायत आम चुनाव सम्पन्न कराने के संबंध में व्यय राशि उपयोग की दरें, परिस्थितियाँ एवं दिशा-निर्देश लोकसभा/विधानसभा चुनावों से भिन्न हैं। अतः नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने हेतु आवंटित बजट राशि का उपयोग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मितव्ययता एवं आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके संबंध में किसी भी प्रकार की शंका-समाधान के लिए आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। **(आयोग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देश आयोग की Website- www.rajsec.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।)**

इस संबंध में बजट उप मदवार निर्देश निम्नानुसार पुनः स्पष्ट किये जा रहे हैं, इनके आधार पर पंचायत चुनावों में आयोग द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता से किया जावे:-

यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता :- नगर निकाय चुनावों में आयोग स्तर से निर्धारित दरों एवं मापदण्डों के अनुसार अधिकतम राशि का आवंटन किया गया था। प्राप्त सूचना में पाया गया कि जिलों द्वारा मतदान दल, मतगणना दल, मतदान दल/जोनल मजिस्ट्रेट के साथ नियुक्त पुलिस कार्मिक एवं जोनल मजिस्ट्रेट को मापदण्डानुसार उचित/आवश्यक भुगतान किया गया है, किन्तु कार्यालय में पदस्थापित अन्य स्टाफ पर यात्रा व्यय दिशा-निर्देशों/मापदण्डों के अनुसार नहीं किया जाकर अत्यधिक व्यय किया गया है। अतः पंचायत चुनावों में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाकर जारी दिशा-निर्देशों व मापदण्डों के अनुसार ही व्यय किया जावे:-

- यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का भुगतान आयोग के पत्रांक 4460 दिनांक 02.10.2014 के निर्देशों/मापदण्डों के अनुरूप किया जावे।
- मतदान दलों का गठन एवं इनका प्रशिक्षण आयोग के पत्रांक 9647 दिनांक 21.12.2014 के निर्देशानुसार किया जावे।

- मतदान दलों को प्रशिक्षण हेतु यथासंभव स्थानीय अधिकारी/कार्मिक नियुक्त किये जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार यात्रा भत्ते का भुगतान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार ही देय हैं।
- मतदान/मतगणना हेतु नियुक्त कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु नियुक्त कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार ही देय होगा।
- मतदान दलों हेतु नियुक्त कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अपरिहार्य कारणों से प्रार्थना कर ड्यूटी निरस्त कराये जाने पर प्रशिक्षण के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जावे।
- चुनाव कार्य के अलावा अन्य कार्यों हेतु की गई यात्रा के लिए तथा चुनाव से पूर्व के यात्रा भत्ते का भुगतान चुनाव मद से नहीं किया जावे।
- किसी भी कारण से कार्मिक द्वारा 3 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर भी अधिकतम 3 दिवस के प्रशिक्षण तक का ही दैनिक/यात्रा भत्ता भुगतान किया जावे।
- मतदान दलों/जोनल मजिस्ट्रेट के साथ नियुक्त किये जाने वाले पुलिस/वन विभाग/होमगार्ड कार्मिक को ही यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आयोग द्वारा निर्धारित दर से चुनाव मद से देय होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त पुलिस कार्मिकों को चुनाव मद से यात्रा/दैनिक भत्ता भुगतान नहीं किया जायेगा।
- मतदान दलों की सहायता के लिए मतदान स्थल पर नियुक्त महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दैनिक भत्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दर से देय होगा।

अल्पाहार :-

- मतदान कार्य हेतु मतदान दल के सदस्यों, उनके साथ नियुक्त पुलिस/वन विभाग/होमगार्ड कार्मिकों एवं इनकी सहायता हेतु मतदान स्थल पर नियुक्त महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मतदान दिन के लिए अल्पाहार का भुगतान निर्धारित दर से देय होगा।
- मतदान कार्य/मतगणना कार्य के लिए मतदान/मतगणना दलों के साथ नियुक्त पुलिस कार्मिकों के अलावा कानून-व्यवस्था हेतु नियुक्त पुलिस कार्मिकों को चुनाव बजट मद से अल्पाहार का भुगतान नहीं किया जावे।

वाहन भाड़ा (Hire Charges) पेट्रोल, ऑयल लुबिकेण्ट (पी.ओ.एल.) :-

- पंचायत चुनाव हेतु अधिगृहित वाहनों का भाड़ा (Hire Charges) एवं पी.ओ.एल. का भुगतान आयोग के पत्रांक एफ 1(23)(2)SEC/Acctt/2014/2655 दिनांक 24.06.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार एवं दरों के अनुसार किया जावे।
- केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकायों, राजकीय एवं जिलापूल के वाहनों के भाड़े (Hire Charges) का भुगतान देय नहीं हैं। इन वाहनों को केवल पी.ओ.एल. का भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय से चुनाव मद से किया जायेगा।
- सरकारी/अर्द्धसरकारी वाहनों के वाहन चालकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का भुगतान राजस्थान यात्रा भत्ता नियम के अनुसार चुनाव फण्ड से वहन किये जा सकेंगा (आदेश क्रमांक 2655 दिनांक 24.06.2014 का पार्ट-III का बिन्दु संख्या-1)
- पंचायत चुनाव में कानून-व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग के लिए केवल अधिगृहित वाहनों का भाड़ा एवं पी.ओ.एल. का भुगतान ही जिला निर्वाचन कार्यालय से चुनाव मद से किया जायेगा।
- पुलिस विभाग के स्वयं के वाहनों का ईंधन/पी.ओ.एल. का भुगतान पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जायेगा। यह भुगतान चुनाव मद से नहीं किया जावे। (आयोग का स्पष्टीकरण पत्रांक प. 1 (23)रानिआ/लेखा/2009/7782 दिनांक 13.01.2010)
- चुनाव कार्यों हेतु वाहन व्यवस्था से संबंधित समस्त भुगतान एक माह की अवधि में कर लिये जावे। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई क्लेम देय नहीं होगा।

टैण्ट, बैरीकेडिंग, माईक एवं विद्युत व्यवस्था :-

- चुनाव के दौरान टैण्ट, बैरीकेडिंग, माईक एवं विद्युत व्यवस्था पर व्यय ऐसी सामग्री के वास्तविक उपयोग दिवस के लिए किया जावे। उपयोगहीन दिवसों के लिए भुगतान नहीं किया जावे।
- टैण्ट, माईक, बैरीकेडिंग एवं विद्युत व्यवस्था पूर्वानुमान कर आवश्यकतानुसार ही किया जावे, आवश्यकता से अधिक व्यवस्था की जाकर राज्यकोष पर निरर्थक भार नहीं किया जावे।
- नाम निर्देशन पर की जाने वाली बैरीकेडिंग, प्रशिक्षण स्थल, मतदान स्थल एवं मतगणना स्थलके अतिरिक्त अन्य स्थलों तथा नगर की सड़कों की कानून व्यवस्था हेतु की गई बैरीकेडिंग का भुगतान चुनाव मद से देय नहीं है।

अन्य मद:-

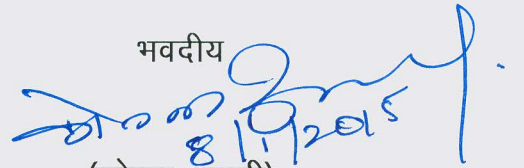
पंचायत चुनाव की बजट मदों से व्यय करने के विस्तृत सामान्य दिशा-निर्देश आयोग के पत्रांक प. 1 (29) (2)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/3759 दिनांक 05.09.2014 द्वारा जारी किये गये हैं। इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

- यथा आवश्यकता व्यय के संबंध में नियमानुसार राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पंचायत आम चुनाव-2015 के कार्य हेतु कम्प्यूटर्स/कम्प्यूटर औपरेटर (Man with Machine) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 के दिशा-निर्देशानुसार रखे जावे। इस संबंध में आयोग के पत्रांक प. 1(5) (24) संस्था/रानिआ/2014/3206 दिनांक 07.08.2014 एवं पत्रांक 3409 दिनांक 21.08.2014 द्वारा स्वीकृत मैन विद मशीन एवं अवधि की स्वीकृति जारी की गई है।
- पंचायत चुनाव के पंचायत इलेक्टोरल रोल (Panchayat Electoral Roll) के तैयार करने एवं पुनरीक्षण से संबंधित अधिकारी/कार्मिकों को मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान आयोग के पत्रांक F.1(21)SEC/Acctt./2014/3261 दिनांक 12.08.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा।
- पंचायत आम चुनाव-2015 सम्पादित कराये जाने हेतु निर्वाचन स्टाफ को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मानदेय रु. 200/- प्रति प्रशिक्षण सत्र देय होगा। किन्तु प्रति प्रशिक्षण अधिकारी सम्पूर्ण चुनाव अवधि में रु. 1000/- से अधिक का भुगतान नहीं दिया जावे। (आयोग का पत्रांक F.1 (27)SEC/Acctt./2014-15/3697 दिनांक 02.09.2014)
- चुनाव सम्पादन के संबंध में आउटराइट (Outright) भुगतान के संबंध में आयोग के पत्रांक F.1(20)(2)SEC/Acctt./O.R./2014-15/3747 दिनांक 03.09.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं दरों की पालना सुनिश्चित की जावे। इस व्यय के सम्बन्ध में यथास्थिति राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 की पालना की जावे।
- चुनाव निधि से कीमती फर्नीचर, सजावटी पर्दे, कारपेट एवं कालीन आदि का उपयोग नहीं किया जावे।
- चुनाव निधि से किसी भी प्रकार की मरम्मत/नवीन निर्माण कार्य आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- विडियोग्राफी एवं डिजीटल कैमरा फोटोग्राफी आयोग द्वारा निर्देशित दिवस के लिए ही की जावे। (आयोग के दिशा-निर्देश पत्रांक- प. 1 (29) (2)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15 /163 दिनांक 05.01.2015)
- आयोग द्वारा बजट आवंटन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया गया है। अतः व्यय बजट व्यय सीमा में ही किया जावे। आवंटित बजट से अधिक व्यय आयोग की पूर्वानुमति से किया जावे।



- बजट आवंटन जिस उप मद के लिए किया गया है उसी मद में व्यय किया जावे। आयोग की पूर्वानुमति के बिना एक उपमद में अवशेष राशि को अन्य उप मद में उपयोग नहीं लिया जावे।
- मदवार व्यय का पूर्वानुमान कर यथा आवश्यक राशि ही ए.सी. बिल के माध्यम से अग्रिम आहरित की जावे। इस राशि से संबंधित यथाशीघ्र सभी भुगतान अन्तिम रूप से किये जाने के पश्चात् अवशेष राशि को राजकोष में अतिशीघ्र जमा की जावे। बकाया दायित्व होने के बावजूद भी राशि अवशेष घोषित कर राजकोष में जमा नहीं की जावे। इसके कारण यह राशि वास्तविक रूप से चुनाव कार्य में उपयोग नहीं होने पर भी आयोग के चुनाव व्यय में सम्मिलित मानी जाती हैं।
- उप मदवार आवंटित बजट एवं उसके विरुद्ध व्यय राशि की साप्ताहिक सूचना निर्धारित प्रारूप में नियमितता से प्रेषित की जावे।
- किसी उप मद में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो उप मदवार आवंटित बजट, उसके विरुद्ध व्यय राशि, बकाया दायित्व एवं अतिरिक्त आवश्यक बजट की सूचना प्रेषित कर मांग प्रस्तुत की जावे।
- चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् सामग्री दाताओं एवं सेवा दाताओं से शीघ्र ही बिल प्राप्त कर अन्तिम भुगतान की कार्यवाही एक माह की अवधि में सुनिश्चित की जावे।
- ए.सी. बिलों के माध्यम से अग्रिम आहरित राशि से भुगतान/समायोजन की कार्यवाही पूर्ण कर निर्धारित समयावधि में (एक माह) डी.सी. बिल तैयार कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावे।
- पंचायत आम चुनाव से सम्बन्धित समस्त भुगतान यथाशीघ्र किये जाकर अन्तिम व्यय की सूचना प्रेषित करावे।
- समस्त पत्र व्यवहार एवं सूचना ई-मेल के माध्यम से ही किया जावे।

उक्त संबंध में यह पुनः उल्लेखित किया जाता है कि, पंचायत चुनाव में समस्त व्यय राज्य मद पर भारित होता है, अतः राशि का उपयोग पूर्ण मितव्ययता एवं समय-समय जारी दिशा-निर्देशानुसार सुनिश्चित करावे।

भवदीय


(कोमल आगरी)
 वित्तीय सलाहकार
 राज्य निर्वाचन आयोग
 राजस्थान, जयपुर